संख्या 22204/एवी-प्रोड./पैनल/सीबीसी/2425

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय संचार ब्यूरो

(एवी प्रोडक्शन)

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

02/03/2026

परामर्शिका

विषय: ऑडियो-विजुअल निर्माताओं के सामान्य पूल-चरण-II मूल्यांकन की पैनलबद्धता के संबंध में।

यह उपर्युक्त विषय और जनरल पूल के तहत ऑडियो-विजुअल निर्माताओं के रूप में पैनलबद्धता के लिए इच्छुक संस्थानों द्वारा सीबीसी को जमा किए गए आवेदन के संदर्भ में है। 13 सितंबर 2024-25 फरवरी 2026 के बीच सफलतापूर्वक जमा किए गए सभी आवेदन (जनरल और स्टार्ट-अप पूल) ऑडियो-विजुअल निर्माताओं/एजेंसियों के रूप में पैनलबद्धता के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के अधीन हैं।

2. जनरल पूल के तहत आवेदकों के पहले समूह, जो नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर चरण-II मूल्यांकन में हिस्सा लेने के लिए योग्य पाए गए हैं, को अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न किया गया है। ऊपर बताई गई समयावधि के दौरान जनरल और स्टार्ट-अप पूल के अधीन प्राप्त शेष सभी आवेदनों की जांच की जा रही है।

3. **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में सूचीबद्ध आवेदकों को चरण-II मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनका मूल्यांकन पैनलबद्धता सलाहकार समिति द्वारा क्रमशः **11 मार्च 2026 और 12 मार्च 2026** को प्रातः**11:30 बजे** से निम्नलिखित स्थान पर किया जाएगा:

कमरा सं. 259, मुख्य सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल

केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली

5. चरण-II मूल्यांकन के लिए चयनित आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्रस्तुतिकरण (प्रेजेंटेशन) के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि निर्धारित स्थान पर उपस्थित हो। प्रस्तुतिकरण (प्रेजेंटेशन) में पिछले काम की शोरील, कॉन्सेप्ट नोट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट और इस परामर्शिका में सूचीबद्ध किसी एक थीम पर फोकस करने वाले स्क्रैच क्रिएटिव शामिल होने चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया **अनुलग्नक- III** में दिए गए दिशानिर्देशों को देखें।

6. किसी भी जानकारी के लिए, कृपया avempanelment.cbc@gmail.com पर संपर्क करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुराग

(के अनुराग कुमार)

उपनिदेशक

अनुलग्नक-I

11 मार्च 2026 – प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम – सामान्य पुल की एजेंसियां

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	श्रेणी	समय सारणी
1.	एबीपी नेटवर्क प्रा. लि.	ए	प्रात:11:30-11:50
2.	अभिषेक मिश्रा	ए	प्रात: 11:50 – 12:10
3.	अभिषेक मिश्रा	सी	अपराह्न 12:10 -12:30
4.	एआरजी आउटलियर मीडिया प्रा. लि.	ए	अपराह्न 12:30 – 12:50
5.	एआरजी आउटलियर मीडिया प्रा. लि.	सी	अपराह्न 12:50 - 01:10
6.	एसोसिएट ब्रोडकास्टिंग कम्पनी प्रा. लि.	ए	अपराह्न 01:10 - 01:30
7.	भव्य ब्रोडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड	ए	अपराह्न 01:30 - 01:50
8.	भव्य ब्रोडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड	सी	अपराह्न 01:50 - 02:10
-	ब्रेक	-	अपराह्न 02:10 - 02:20
9.	कंसीडर डॉन कंसल्टेंट्स एलएलपी	ए	अपराह्न 02:20 - 02:40
10.	एस्प्रांजा इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	ए	अपराह्न 02:40 - 03:00
11.	ग्रेनियम इंफोरमेशन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	ए	अपराह्न 03:00 - 03:20
12.	ग्रेनियम इंफोरमेशन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	सी	अपराह्न 03:20 - 03:40
13.	इंडिपेन्डेंट न्यूज सर्विस प्रा. लि.	ए	अपराह्न 03:40 - 04:00
14.	केसरी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	सी	अपराह्न 04:00 - 04:20
15.	लाइमलाइट कॉर्प	सी	अपराह्न 04:20 - 04:40

अनुपमा

अनुलग्नक-II

12 मार्च 2026 – प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम – सामान्य पुल की एजेंसियां

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	श्रेणी	समय सारणी
1.	एमएम एडवर्टाइजिंग	सी	प्रात:11:30-11:50
2.	एमओ मंत्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	सी	प्रात: 11:50 – 12:10
3.	मोक्ष मीडिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड	सी	अपराह्न 12:10 -12:30
4.	नोमैड्ज डिजिटल एण्ड इन्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	ए	अपराह्न 12:30 – 12:50
5.	नोमैड्ज डिजिटल एण्ड इन्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	सी	अपराह्न 12:50 - 01:10
6.	रज्जमैट्ज फिल्मस प्रा. लि.	ए	अपराह्न 01:10 - 01:30
7.	सिंटिल्ला क्रिएसन्स प्राइवेट लिमिटेड	ए	अपराह्न 01:30 - 01:50
8.	एस जी ड्रीम्स मीडिया वेंचर्स	सी	अपराह्न 01:50 - 02:10
9.	सनसाइन पिक्चर्स लिमिटेड	ए	अपराह्न 02:10 - 02:30
10.	टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड	ए	अपराह्न 02:30 - 02:50
11.	टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड	सी	अपराह्न 02:50 - 03:10

अनुरक्षा

अनुलग्नक-III

स्टार्ट- अप पूल के अधीन एवी-निर्माताओं/एजेंसियों के चरण –II तकनीकी मूल्यांकन हेतु सामान्य दिशानिर्देश

एवी-निर्माताओं/एजेंसियों जिन्होंने मूल्यांकन के चरण-I को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, को एतद्द्वारा पैनल सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुति देना अपेक्षित है। प्रस्तुति के लिए पेन ड्राइव में प्रस्तुत की जाने वाली निम्नलिखित सामग्री शामिल होनी चाहिए, जिस पर एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए:

1. पिछले काम की शोरील:

i. इसमें एजेंसी द्वारा आवेदन किए गए प्रत्येक खण्ड के लिए कम से कम 10 अलग-अलग अनुमोदित एवी निर्माण कार्यों का खण्ड-वार संकलन (कलेक्शन) होना चाहिए।

ii. शोरील को खण्डों में बांटा जाना चाहिए, प्रत्येक खण्ड उस खण्ड पर केंद्रित होना चाहिए जिसके लिए एजेंसी ने आवेदन किया है।

iii. प्रत्येक खण्ड में एजेंसी द्वारा खण्ड-विशेष विषय पर सफलतापूर्वक किए गए कम से कम 10 कार्यों की झलक दिखानी होगी।

iv. खण्ड में प्रत्येक झलक से पहले एक टाइटल स्लाइड होनी चाहिए जिसमें ये बातें साफ़-साफ़ लिखी हों: फ़िल्म का नाम, ग्राहक का नाम, फ़िल्म का समय, निर्माण वर्ष और उसे मिले अवॉर्ड का नाम (यदि कोई हो)।

v. शोरील का समय प्रत्येक खण्ड के लिए अधिक से अधिक 2 मिनट हो सकता है।

vi. एजेंसी को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वह समिति द्वारा जांच के लिए शोरील में दिखाई गई फ़िल्म का पूरा संस्करण (version) लाएं।

2. शोरील में दिखाए गए कार्यों का समर्थन करने वाले दस्तावेज:

i. एजेंसी को प्रत्येक खण्ड के लिए एक सारांश शीट जमा करनी होगी, जिसमें नीचे दिए गए फ़ॉर्मेट में पूरी जानकारी साफ़-साफ़ प्रस्तुत की गई हो:

क्रम सं.	फिल्म का नाम	ग्राहक का नाम	निर्माण वर्ष	कार्य आदेश सं.	कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सं.

ii. एजेंसी को शोरील में प्रस्तुत प्रत्येक कार्य के लिए उससे संबंधित कार्य आदेश/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. नए अभियान का संक्षिप्त विवरण: निम्नलिखित सूची में से किसी एक विषय पर केंद्रित - कॉन्सेप्ट नोट, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट और स्क्रैच क्रिएटिव:

i. **सामाजिक और लोक कल्याण:** भारत की जनगणना 2027

ii. **अर्थव्यवस्था, वित्त और अवसंरचना:** ग्रामीण भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

iii. **राष्ट्रीय एकता, रक्षा रणनीति, योजना और लोकतंत्र:** अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026

iv. **संस्कृति और पर्यटन:** भारतीय प्रदेशों की पाक-कला विरासत

v. **पर्यावरण और ऊर्जा:** उर्वरक का संतुलित उपयोग

vi. **विधि, प्रशासन, व्यैक्तिक, सतर्कता और जांच:** नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक सुधार

अनुरूप

4. नए अभियान के संक्षिप्त विवरण में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

i. **संकल्पना नोट:** इसमें कम से कम अभियान के प्राथमिक लक्ष्य शामिल होने चाहिए, मुख्य संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि अभियान दर्शकों तक संदेश संचारित करने तथा रचनात्मक दिशा और दृष्टिकोण का वर्णन करने का आशय रखता है जिसका उपयोग मुख्य संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया जाएगा।

ii. **सृजनात्मक संकल्पना:** इसमें अभियान से संबंधित विषय या कथाओं की कलात्मक व्याख्या शामिल होनी चाहिए।

iii. **एवी स्क्रैच:**

क. श्रेणी 'ए' आवेदन के मामले में यह 2 से 5 मिनट का होना चाहिए,

ख. श्रेणी 'बी' के मामले में यह कम से कम 2 से 15 मिनट का होना चाहिए

ग. श्रेणी 'सी' के मामले में यह कम से कम 60 सेकंड (एक ऑडियो स्पॉट और एक वीडियो स्पॉट) का होना चाहिए।

5. ध्यान देने योग्य बातें:

i. अगर किसी एजेंसी ने केवल एक खण्ड के लिए आवेदन किया है, तो उसे केवल उसी विशेष खण्ड के विषय पर स्क्रैच क्रिएटिव बनाना होगा। ऐसे मामलों में, जहाँ किसी एजेंसी ने कई खण्ड के लिए आवेदन किया है, उसे स्क्रैच क्रिएटिव बनाने के लिए, जिस भी खण्ड के लिए उसने आवेदन किया है, उसमें से एक विषय चुनना होगा।

ii. कृपया सुनिश्चित करें कि सभी सामग्री उपर्युक्त आवश्यक मदों के अनुसार संकलित और प्रस्तुत की गई है। कृपया https://cbcindia.gov.in पर अपलोड की गई ऑडियो-विज़ुअल प्रोड्यूसर/एजेंसी के एम्पैनलमेंट के लिए नीतिगत दिशानिर्देश देखें।

अनुरोध